

हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्या: पीसीएच-एचए (1)2/2019-60668-679 शिमला-171009

दिनांक 23.09.2020.

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1)2/2019-55536-546 दिनांक 28.08.2020 के अन्तर्गत, जिला सिरमौर में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुनर्गठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला सिरमौर को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों पर उपायुक्त, जिला सिरमौर की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला सिरमौर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन, पुनर्गठन और नए ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के आंशिक संशोधन में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 2 के खण्ड (46) तथा धारा 3 की उप धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला सिरमौर के निम्न अनुसूची-1 में वर्णित राजस्व गांव के उन भागों को जो कोष्ठ संख्या 6 में अंकित है, के लिए कोष्ठ संख्या 5 में अंकित नाम से ग्राम घोषित करने तथा अनुसूची-11 में दिए गए विवरण अनुसार ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुनर्गठित कर उनके लिए, उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के प्रयोजन हेतु निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं;

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2-क) तथा धारा 3-क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत यह आदेश भी प्रदान करते हैं कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का विभाजन और पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची-1

क्र० सं	ग्राम सभा का नाम।	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम जिनके विभाजन से नए ग्राम की घोषणा की जानी है।	कोष्ठ संख्या-3 में वर्णित ग्राम के कुल खसरा न०।	कोष्ठ संख्या-3 में वर्णित ग्राम के विभाजन पर इस घोषणा आदेश द्वारा रखे गए नए नाम।	कोष्ठ संख्या-5 में वर्णित नव घोषित ग्रामों में सम्मिलित होने वाले खसरा न०।
1	2	3	4	5	6
1 विकास खण्ड:-शिलाई					
1	काण्डो भटनोल स्थित काण्डो	काण्डो भटनोल	कुल ख० न०-2403	1. डेटवाड़	ख० न०-35

अनुसूची-11

क्र०	वर्तमान सं0 ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	अपवर्जित ग्रामों के लिए नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या-3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1 विकास खण्ड:- पांवटा साहिब						
1	नघेता	1 नघेता 2 भैला 3 आगरों 4 केरका	भैला	1 भैला 2 केरगा	1 नघेता 2 आगरो	
2	डांडा	1 डांडा 2 कण्डेला अदवाड 3 कुलथिना	कण्डेला अदवाड (मुख्यावास सैनाव)	1 कण्डेला अदवाड 2 कुलथिना	1 डांडा	
3	शावगा	1 शावगा 2 शमाह-पमता 3 छितली	शमाह-पमता	1 शमाह-पमता 2 छितली	1 शावगा	
4	खोदरी	1 माजरी पहाड़वाला 2 खोदरी परमानन्द 3 गोजर अड़ायन	गोजर अड़ायन	1 गोजर अड़ायन	1 माजरी पहाड़वाला 2 खोदरी परमानन्द	
5	भंगानी	1 भंगानी 2 सिंधपुरा(पत्ती) 3 गुरुवाला	गुरुवाला-सिंधपुरा	1 सिंधपुरा(पत्ती) 2 गुरुवाला	1 भंगानी	
1 विकास खण्ड:- शिलाई						
1	काण्डो भटनोल स्थित काण्डो	1 काण्डो भटनोल 2 नावना भटवाड 3 दियान्डो	नावना भटवाड	1 नावना भटवाड 2 दियान्डो 3. डेटवाड (ख0 न0-35)	1 काण्डो भटनोल (ख0 न0-2368)	
2	कोटी उत्तरउ	1 कोटी उत्तरउ ¹ 2 बम्बल	बम्बल	1 बम्बल	1 कोटी उत्तरउ	

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या:पीसीएच-एचए (1)2 / 2019-60668-679

शिमला-171009

दिनांक 23.9.2020.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

- उपायुक्त, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश शिमला-02
3. जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त सम्बन्धित प्रधान / सचिव, ग्राम पंचायत, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला-09